भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1660

उत्तर देने की तारीख 10 मार्च, 2025

सोमवार, 19 फाल्गुन 1946 (शक)

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देना

1660. श्री के. सी. वेणुगोपाल:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अपनी विभिन्न स्वायत्त संस्थाओं के माध्यम से क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आबंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा केरल राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किए गए विशिष्ट प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपने स्वायत्त संस्थानों, यानी राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के माध्यम से तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं।

एमएसडीई के तहत नीसबड और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने अखिल भारतीय स्तर पर आईटीआई के शिक्षुओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से उद्यमशीलता कौशल और शिक्षा के सतत विकास के लिए 8 फरवरी, 2018 को एक समझौता

ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और इसे 20 अक्टूबर, 2021 को आगे बढ़ाया गया। इस समझौता ज्ञापन के तहत आईटीआई के प्रशिक्षकों के उद्यमशीलता कौशल को बढ़ाने के लिए एनआईईएसबीयूडी द्वारा "रोजगार, उद्यमशीलता और जीवन कौशल पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम" के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण (आवासीय)/ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

मंत्रालय ने नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता मंच के साथ मिलकर 07.02.2025 को पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय और मिजोरम में और 01.03.2025 को उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम - स्वावलंबिनी का शुभारंभ किया। स्वावलंबिनी परियोजना का उद्देश्य छात्राओं में उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करना और उन्हें उद्यमशीलता को करियर के रूप में अपनाने के लिए आवश्यक उपलब्ध सहायता तंत्र, योजनाओं, संसाधनों और नेटवर्क के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। स्वावलंबिनी परियोजना के लक्षित समूह में उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) और विश्वविद्यालयों की 1200 छात्राएं शामिल हैं। स्वावलंबिनी परियोजना के लिए लक्षित समूह में उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) और विश्वविद्यालयों की 1200 छात्राएँ शामिल हैं। इनमें से 600 छात्राएँ उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) से गुजरेंगी, जिसमें प्रशिक्षण और कौशल, वित्त तक पहुँच, बाज़ार संपर्क, अनुपालन और कानूनी सहायता, व्यावसायिक सेवाएँ और नेटवर्किंग अवसर जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक पहलुओं को शामिल करते हुए 40 घंटे का गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद प्रतिभागियों को अपने विचारों को स्थायी संभावनाओं में बदलने में मदद करने के लिए छह महीने की सलाह और सहायता प्रदान की जाएगी। दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए, कार्यक्रम में एक संकाय विकास कार्यक्रम (एफ़डीपी) भी शामिल है, जहाँ भाग लेने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों के संकाय सदस्य पाँच दिवसीय प्रशिक्षण सत्र से गुजरेंगे। यह पहल शिक्षकों को उनके संस्थानों के भीतर महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों को सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करती है। इसके अलावा, स्वावलंबिनी का उद्देश्य नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता मंच की पुरस्कार पहल के माध्यम से कार्यक्रम से उभरने वाली सफल महिला उद्यमियों को पहचानना और पुरस्कृत करना है। कार्यक्रम महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के विकास का समर्थन करने के लिए कार्यशालाओं, बीज निधि और संरचित सलाह का लाभ उठाएगा।

इसके अलावा, आईआईई पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमशीलता विकास केंद्र (ईडीसी) और इनक्यूबेशन सेंटर (आईसी) की स्थापना, विकास और प्रबंधन कर रहा है। परियोजना की प्रमुख विशेषताओं में पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में 30 ईडीसी और चार आईसी की स्थापना, विकास और प्रबंधन, 30 लक्षित जिलों से 600 सलाहकारों की पहचान और प्रशिक्षण, 30 लक्षित जिलों से 3600 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण, चार आईसी में 100 व्यावसायिक विचारों को इनक्यूबेट करना, अभिसरण के माध्यम

से 30 ईडीसी में 900 व्यावसायिक विचारों का समर्थन करना और चार आईसी में शीर्ष 50 इनक्यूबेट के लिए सीड फंड शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। शिक्षा मंत्रालय का इनोवेशन सेल (एमआईसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। रचनात्मकता और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने वाले माहौल को बढ़ावा देकर, सेल स्थायी वाणिज्यिक मॉडल के विकास की सुविधा प्रदान करता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन (एसआईएच), इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल (आईआईसी), केएपीआईएलए (आईपी साक्षरता और जागरूकता के लिए कलाम कार्यक्रम), इनोवेशन, डिज़ाइन और उद्यमशीलता (आईडीई) बूटकैंप और एआईसीटीई एमओई इन्वेस्टर नेटवर्क और इंडोवेशन सेंटर जैसी पहलों के माध्यम से, यह उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के मूल में नवाचार को एकीकृत करने का प्रयास करता है। इनोवेशन सेल विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों के साथ सहयोग करता है, यह सुनिश्चित करता है कि ये नवाचार सामाजिक प्रगति में योगदान दें और साथ ही वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करें जिससे देश में नवाचार, स्टार्ट-अप और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा मिले। सभी एमआईसी पहलों में, उच्च शिक्षा संस्थान नवाचार और उद्यमिता के लिए सक्षम वातावरण बनाने हेतु राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ काम करते हैं।

इसके अलावा, एआईसीटीई ने उद्यमशीलता और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित योजना शुरू की है:

एआईसीटीई प्रोडक्टाइजेशन फेलोशिप (एपीएफ़): एआईसीटीई प्रोडक्टाइजेशन फेलोशिप (एपीएफ़) योजना का उद्देश्य छात्रों की अभिनव परियोजनाओं का समर्थन करना है, जो ग्राउंड ब्रेकिंग प्रौद्योगिकियों के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स (पीओसी) को मान्य करने पर केंद्रित हैं और छात्रों को आवश्यक संसाधनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें कच्चे माल, उपकरण, सॉफ्टवेयर और परीक्षण उपकरण शामिल हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि छात्रों के पास अपने प्रयोगशाला-आधारित अनुसंधान और नवाचारों को बाजार के लिए तैयार उत्पादों/समाधानों में बदलने के लिए आवश्यक संसाधन हैं।

(ख) और (ग) एमएसडीई द्वारा अपने स्वायत्त संस्थानों, अर्थात राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के माध्यम से पिछले पांच वर्षों के दौरान केरल राज्य सहित पूरे देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा और निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों ने केरल राज्य सहित पूरे देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं। पिछले पांच वर्षों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई कुछ पहलों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अनुबंध-I

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के संबंध में दिनांक 10.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1660 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान केरल राज्य सहित देश भर में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एमएसडीई द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण और निधि का विवरण इस प्रकार है:

1. **प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) -** एमएसडीई अपने स्वायत्त संस्थानों, एनआईईएसबीयूडी और आईआईई के माध्यम से मार्च 2024 से विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के उत्थान के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक योजना - प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के कौशल और उद्यमिता घटक को लागू कर रहा है। यह परियोजना देश भर के 18 राज्यों में भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के समर्थन से कार्यान्वित की जा रही है, जिसके तहत कुल 500 वीडीवीके स्थापित किए जाने हैं। एनआईईएसबीयूडी ने देश भर में 37,642 प्रतिभागियों को कुल 1.5 करोड़ रुपये की निधि से प्रशिक्षण दिया है। पीएमकेवीवाई के तहत एक विशेष परियोजना के रूप में 23.47 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। एनआईईएसबीयूडी ने केरल राज्य में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान परियोजना के तहत 425 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया है।

2. **जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से उद्यमशीलता का माहौल -** एनआईईएसबीयूडी ने अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से उद्यमशीलता का माहौल बनाने के लिए एक परियोजना लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षमता निर्माण, सलाह और मार्गदर्शन के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों में उद्यमिता की भावना का निर्माण, पोषण और संवर्धन करना है। एनआईईएसबीयूडी ने जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से 1.78 करोड़ रुपये की कुल आवंटित निधि के साथ 2,633 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया है। एनआईईएसबीयूडी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान केरल राज्य में 69 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया है।

3. **संकल्प योजना के तहत क्षमता निर्माण, इनक्यूबेशन सहायता, मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से उद्यमशीलता के माहौल को मजबूत करना -** एमएसडीई ने एनआईईएसबीयूडी के माध्यम से दिसंबर 2022 से एमएसडीई की आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) योजना के समर्थन से समाज के विभिन्न हाशिए के वर्गों और

महिलाओं के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक परियोजना लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षमता निर्माण, इनक्यूबेशन सहायता, मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों के बीच उद्यमशीलता की भावना का निर्माण, पोषण और प्रचार करना है। संकल्प को तीन चरणों में लागू किया गया है। संकल्प 1 के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान कुल 23,825 लाभार्थियों को 19.84 करोड़ रुपये की कुल आवंटित निधि से प्रशिक्षित किया गया है। संकल्प 2 के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान कुल 24,000 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसके लिए कुल आवंटित धनराशि 20.90 करोड़ रुपये है। संकल्प 3 के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 15,000 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसके लिए कुल आवंटित धनराशि 10.77 करोड़ रुपये है।

4. औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) - एमएसडीई के औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) के तहत, एनआईईएसबीयूडी ने अक्टूबर 2023 से मई 2024 के बीच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन गतिविधियों के बाद उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) से गुजरने के लिए संभावित उद्यमियों का चयन किया गया। संस्थान ने लक्षित समूहों के लिए ईडीपी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है और शिक्षुओं को अपने उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर रहा है। एनआईईएसबीयूडी ने देश भर में 77,430 प्रतिभागियों को 16.83 करोड़ रुपये की कुल आवंटित निधि के साथ प्रशिक्षण दिया है।

5. उचित मूल्य की दुकान मालिकों के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रम - एनआईईएसबीयूडी ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सहयोग से उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। यह परियोजना पीएमकेवीवाई के तहत विशेष परियोजना के रूप में शुरू की जा रही है ताकि एफपीएस मालिक खुदरा उद्यमियों द्वारा अपनाई जा रही समकालीन प्रथाओं के अनुरूप अपना व्यवसाय चला सकें। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को उद्यमशीलता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता और सरकारी सहायता पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पहलुओं के गहन ज्ञान से लैस करना है। एनआईईएसबीयूडी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत एक विशेष परियोजना के रूप में 1.67 करोड़ रुपये की कुल आवंटित निधि के साथ देश भर में 315 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण आयोजित किया है।

6. संकल्प योजना के तहत पूर्वोत्तर में आदिवासी कारीगरों और सूक्ष्म स्तर के उद्यमियों के लिए व्यापक उद्यमशीलता और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम - आईआईई ने संकल्प योजना के तहत पूर्वोत्तर में आदिवासी कारीगरों और सूक्ष्म स्तर के उद्यमियों के लिए उद्यमिता और

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया है। यह कार्यक्रम उत्पाद विविधीकरण, प्रौद्योगिकी उपयोग और प्रभावी व्यावसायिक गतिविधियों, पैकेजिंग और ब्रांडिंग रणनीतियों सहित क्षमता निर्माण के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित है। कार्यक्रम को जनवरी 2024 से अक्टूबर, 2024 तक 14.23 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत राशि के साथ लागू किया गया था। आईआईई ने कार्यक्रम के तहत 10,000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है।

7. **स्ट्राइव योजना के तहत पूर्वोत्तर के आईटीआई और एनएसटीआई में उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ की स्थापना** - स्ट्राइव योजना के तहत, आईआईई ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में उद्यमिता विकास प्रकोष्ठों की स्थापना की है। आईआईई ने उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) आयोजित किए हैं, जिसके बाद मार्गदर्शन और मार्गदर्शन दिया गया है। आईआईई ने ईएपी के माध्यम से 11,000 और ईडीपी के माध्यम से 8,332 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा, 94 आईटीआई और 2 एनएसटीआई के 80 संकायों ने एफडीपी के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। परियोजना को मार्च 2024 से दिसंबर, 2024 तक 7,88,80,928 रुपये की स्वीकृत राशि के साथ लागू किया गया था।

अनुबंध-II

सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की गई विभिन्न पहलों का विवरण, जिसमें पिछले पांच वर्षों में आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का विवरण शामिल है, इस प्रकार है:

1. **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) -** एमईआईटीवाई ने केरल राज्य सहित देश में प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहल और उपाय किए हैं। कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

(i) **प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन और उद्यमियों का विकास (टीआईडीई 2.0 योजना)-** एमईआईटीवाई ने वर्ष 2019 में 'प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन और उद्यमियों का विकास (टीआईडीई 2.0)' योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य 5 वर्षों की अवधि में 264.62 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 51 इनक्यूबेटरों को वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से तकनीक आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना है। अब तक, कुल 100 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 51 टीआईडीई 2.0 केंद्रों को 206.88 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। टीआईडीई 2.0 योजना के तहत, एक इनक्यूबेशन केंद्र जिसका नाम 'आईआईआईटीएम-केरल में मेकर विलेज-कोच्चि' है, केरल में टीआईडीई 2.0 केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है।

(ii) **जेनेसिस (इनोवेटिव स्टार्टअप के लिए जेन-नेक्स्ट सपोर्ट):** एमईआईटीवाई ने भारत भर के टियर-II और टियर-III शहरों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से 'इनोवेटिव स्टार्टअप के लिए जेन-नेक्स्ट सपोर्ट (जेनेसिस)' योजना शुरू की है। इस योजना में पांच वर्षों की अवधि में 490 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 65 कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से लगभग 1,600 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। अब तक, इस योजना के तहत 10.80 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस योजना के तहत, चार केंद्र अर्थात् (i) भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझीकोड नवाचार उद्यमशीलता और उद्यमशीलता प्रयोगशाला, (ii) मेकर विलेज कोच्चि, (iii) प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर एनआईटी कालीकट (टीबीआई एनआईटीसी)

2. **कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्लू) -** डीएएंडएफडब्लू 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत "नवाचार और कृषि-उद्यमशीलता विकास" कार्यक्रम को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके और देश में एक इनक्यूबेशन इकोसिस्टम का पोषण करके नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देना है। कृषि-उद्यमशीलता कार्यक्रम के तहत आवंटित कुल बजट अनुमान और 2018-19 से 2024-25 तक जारी किए गए फंड इस प्रकार हैं:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आबंटन	जारी निधि (28.02.2025 तक)
2018-19	238.00	39.90
2019-20	123.70	15.27
2020-21	119.40	48.00
2021-22	102.85	31.60
2022-23	132.34	35.50
2023-24	106.05	62.28
2024-25	133.52	43.54
योग	**955.86**	**276.09**

डीएएंडएफडब्ल्यू ने इस कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप्स के कार्यान्वयन सहायता और इनक्यूबेशन के लिए देश भर से पांच नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और चौबीस आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर (आर-एबीआई) नियुक्त किए हैं। इस कार्यक्रम के तहत आइडिया/प्री-सीड स्टेज के लिए, चयनित स्टार्ट-अप एक किस्त में अधिकतम पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा। सीड स्टेज के लिए, चयनित स्टार्ट-अप चयन और निवेश समिति (एसआईसी) द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर 50% और 50% की दो किस्तों में अधिकतम पच्चीस लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा। प्रत्येक केपी अधिकतम 20-25 स्टार्ट-अप का चयन कर सकता है और प्रत्येक आर-एबीआई एक वित्तीय वर्ष में प्री सीड और सीड स्टेज की प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम 10-12 स्टार्ट-अप का चयन कर सकता है इस कार्यक्रम के तहत केपी और आर-एबीआई द्वारा 5000 से अधिक कृषि स्टार्टअप को प्रशिक्षित किया गया है। अब तक, इस कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 (आज तक) के दौरान 1749 कृषि स्टार्टअप को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी गई है। इन 1749 कृषि स्टार्टअप को वित्त पोषण के लिए डीए एंड एफडब्ल्यू द्वारा संबंधित केपी और आर-एबीआई को किश्तों में 124.96 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई है। स्टार्ट-अप कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाएं ले रहे हैं।

3. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)-** एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को कार्यान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके दरवाजे पर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पीएमईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में

15% मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के साथ सहायता करती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों जैसे विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए, मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है विशेष श्रेणी के तहत लाभार्थियों का अपना योगदान 05% और सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10% है। 2018-19 से, मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा उद्यमों को भी पिछले अच्छे प्रदर्शन के आधार पर अपग्रेडेशन और विस्तार के लिए दूसरे ऋण के साथ समर्थन दिया जाता है। दूसरे ऋण के तहत, विनिर्माण क्षेत्र के तहत मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत 1.00 करोड़ रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये है। सभी श्रेणियों के लिए दूसरे ऋण पर पात्र सब्सिडी परियोजना लागत का 15% (एनईआर और पहाड़ी राज्यों के लिए 20%) है।

विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या, सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या, वितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी और अनुमानित रोजगार सृजन के संदर्भ में पूरे देश में पीएमईजीपी का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	सहायत प्रदत्त इकाइयों की संख्या	एमएम सब्सिडी (कारोड रु में)	अनुमानित रोजगार सृजन
2019-20	66,653	1,950.82	5,33,224
2020-21	74,415	2,188.80	5,95,320
2021-22	1,03,219	2,977.65	8,25,752
2022-23	85,167	2,722.17	6,81,336
2023-24	89,118	3,093.87	7,12,944

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या, सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या, वितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी और अनुमानित रोजगार सृजन के संदर्भ में केरल राज्य में पीएमईजीपी का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

वित्तीय-वर्ष	सहायता प्रदत्त इकाइयों की संख्या	एमएम छूट (करोड़ रु. में)	अनुमानित रोजगार सृजन
2019-20	2,438	53.22	19,504
2020-21	2,389	52.25	19,112
2021-22	2,789	68.58	22,312
2022-23	3,129	73.29	25,032
2023-24	3,389	78.81	27,112

4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) – देश में स्टार्टअप्स के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने 2016 में एक व्यापक कार्यक्रम 'निधि' (नवाचारों के विकास और दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल) शुरू किया। निधि कार्यक्रम प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (टीबीआई), उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) और समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (आईटीबीआई) के माध्यम से प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायक रहा है, ताकि विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अभिनव स्टार्ट-अप्स को इनक्यूबेशन, सलाह और प्रशिक्षण सहायता प्रदान की जा सके। निधि योजना के तहत उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**आबंटित निधि**	**उपयोग की गयी निधि**
2020-21	230	116
2021-22	215	173
2022-23	180	151
2023-24	160	118
2024-25	122	115*

**15 जनवरी 2025 तक*

इसके अलावा, विगत पांच वर्षों के दौरान केरल राज्य में निम्नलिखित प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (टीबीआई) स्थापित किए गए हैं:

क्र.सं.	**टीबीआई का नाम**	**कार्यान्वित स्कीम**
1	एससीटीआईएमएसटी-टीआईएमईडी	टीबीआई और प्रयास केंद्र
2	टीबीआई- एनआईटी कालीकट	टीबीआई और प्रयास केंद्र
3	अमृता टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर	टीबीआई और प्रयास केंद्र
4	सीईटी टीबीआई	टीबीआई
5	स्टार्टअप्स वैली	टीबीआई
6	टेक्नोपार्क टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (केरल स्टार्टअप मिशन)	टीबीआई और प्रयास केंद्र
7	भारतीय दूरसंचार नवाचार केंद्र - प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (स्टार्टअप विलेज)	टीबीआई
8	आईआईएमके लाइव (नवाचार, उद्यमशीलता और उद्यमशीलता के लिए प्रयोगशाला)	टीबीआई
9	आईआईआईटीएमकेआई – मेकर विलेज	प्रयास केंद्र

****